


आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न अधिनियम और नीतियां



आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिनियम

- अचानक विपत्तिपूर्ण घटना जिसके परिणामस्वरूप किसी समाज या समुदाय के कामकाज में गड़बड़ी होती है, आपदा के रूप में जानी जाती है। इन आपदाओं से कई आर्थिक, पर्यावरणीय, मानवीय और भौतिक नुकसान हुए हैं। इस तरह के नुकसान इतने विनाशकारी होते हैं कि समुदाय अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके इनका सामना नहीं कर सकता है। प्राकृतिक आपदाएँ इस प्रकार हो सकती हैं : भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन और सिंकहोल।



जैविक आपदाएं

- परिभाषा : एक निश्चित प्रकार के जीवित जीव या सूक्ष्म जीव के व्यापक रूप से होने वाले विनाशकारी प्रभाव जिसके कारण रोग, विषाणु या पौधों, जानवरों या कीट जीवन के संक्रमण का प्रसार महामारी या सर्वव्यापी महामारी स्तर पर हो सकता है।
- महामारी स्तर - एक आपदा को इंगित करता है जो एक ही समय में किसी दिए गए क्षेत्र या समुदाय के कई लोगों को प्रभावित करता है।
- सर्वव्यापी महामारी का स्तर - एक बहुत बड़े क्षेत्र, कभी-कभी एक पूरे महाद्वीप या यहां तक कि पूरे ग्रह को प्रभावित करने वाली एक आपदा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में कोरोना वायरस या एच1 एन1 या स्वाइन फ्लू महामारी।

क्षेत्र में श्रमिकों के लिए निवारक उपाय (चिकित्सा)

- इंजीनियरिंग नियंत्रण - ऐसी आपदाओं के प्रसार को रोकने में सहायता करने के लिए उचित वायु संचरण, नकारात्मक दबाव स्थापित करने और यूवी लैंप का उपयोग शामिल है।
- व्यक्तिगत स्वच्छता - तरल साबुन से हाथ धोना, उन कपड़ों की उचित देखभाल जो एक संभावित दूषित वातावरण के संपर्क में हैं।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण - मुखौटे, सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, चेहरा ढकना, आँख ढकना, जूता कवर।
- विसंक्रमण - बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अत्यधिक गर्मी या उच्च दबाव का उपयोग करना या रोगाणुओं को मारने के लिए बायोसाइड का उपयोग करना।
- श्वसन सुरक्षा - सर्जिकल मास्क, रेस्पिरैटर, पावर्ड एयर-प्यूरिफाइंग रेस्पिरैटर्स (PAPR), एयर-सप्लाई रेस्पिरैटर।

जैविक आपदाओं के लिए कानूनी ढांचा

- महामारी रोग अधिनियम, 1897 को औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम जैविक आपात स्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।

- इसे एक ऐसे अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो प्रचलित और दूरदर्शी सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखता है, जिसमें शत्रु द्वारा BT हमले और जैविक हथियारों के उपयोग, सीमा पार मुद्दों और रोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार सहित आपात स्थिति शामिल हैं।
 - यह केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को दंडाभाव के साथ कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों को सूचित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां देनी चाहिए, वे भी प्रभावित क्षेत्र को प्रतिबंधित या संगरोध कर सकते हैं, संदिग्ध सामग्रियों के नमूने लेने और उन्हें सील करने के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।
 - जैविक नमूना हस्तांतरण और सामग्री/प्रयोगशालाओं के जैव सुरक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियम बनाना चाहिए ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति अधिनियम के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ सुस्थापित कानून हैं। इन दो कृत्यों के साथ, अन्य कार्य जो आपदा को रोकने में मददगार साबित हुए हैं, जैसे कि कुछ विशिष्ट गतिविधियों के परिणामस्वरूप वायु अधिनियम 1971, जल अधिनियम 1984, पर्यावरण अधिनियम 1986 आदि।

- अधिनियम और कानून :



- I. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को राज्य सभा द्वारा 28 नवम्बर और लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर, 2005 को पारित किया गया था। 09 जनवरी 2006 को इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

इस अधिनियम में 79 खंड और 11 अध्याय हैं। यह अधिनियम पूरे भारत में प्रभावी है और इसके प्रबंधन से संबंधित आपदाओं और मामलों का प्रभावी प्रबंधन प्रदान किया जाता है। अधिनियम निम्नलिखित का गठन करके आपदाओं का मुकाबला करता है :

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय का एक अभिकरण है। यह अभिकरण प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया का समन्वय करने और आपदा समाधान और क्षमता प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण के लिए जिम्मेदारी लेती है। यह नीतियों का भी गठन करता है, दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करता है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) प्रबंधन के साथ समन्वय करता है। आपदा प्रबंधन की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा बारहवें वित्त आयोग द्वारा की जानी अनिवार्य थी।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): धारा 8 के अंतर्गत यह भारत सरकार के गृह, कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल, वित्त, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारियों से बनी है। गृह सचिव पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- इस निकाय को आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। NDMA के अंतर्गत काम करने वाले समान निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRM) हैं।

2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):

- धारा 14 के अंतर्गत, SDMA में राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
- धारा 22 के अनुसार, यह समिति आपदा के प्रबंधन की योजना तैयार करने और राष्ट्रीय योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। धारा 28 द्वारा, SDMA राष्ट्रीय और राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करती है।

- राज्य कार्यकारी समिति (SEC) : यह निकाय जो राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होता है, राष्ट्रीय नीति के निष्पादन के समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। डीएम अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य योजना प्रदान की गई है।

3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- जिले के जिलाधीश या जिले के उपायुक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकारी का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जनजातीय क्षेत्रों में, स्वायत्त जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- जिला परिषद में, जो पंचायती राज प्रणाली की तीसरी श्रेणी है, DDMA के सह-अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। जिला प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में निर्माण का निरीक्षण करने की शक्ति के साथ निहित है। यह जिला स्तर पर आपदा के जवाब में राहत उपायों की व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा मानकों को लागू करता है।

II. आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) “रोकथाम, शमन, तत्परता और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा तन्त्रक भारत का निर्माण करना।” की एक परिकल्पना है। इस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर, 2009 को मंजूरी दे दी थी। NPDM प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण के विषय में विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक साझेदारी का निर्माण और जोर देता है।

आपदा प्रबंधन एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहु-विषयक गतिविधि है। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकार पर है। NPDM समग्र विकास और आपदा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सफल रहा है। NPDM समाज के उस हर पहलू को संबोधित करता है जिसकी पुनर्वास के लिए राहत और सूत्रीकरण उपायों को देने के संदर्भ में हानियां हैं। जिन समूहों की यह चिंता है, वे दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे आदि हैं।

सभी समुदाय और समुदाय आधारित संगठन, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। यह सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) प्रधानमंत्री द्वारा 01 जून, 2016 को जारी की गई थी। यह NDMP मोटे तौर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में निर्धारित लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जापान के सेंडाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया।

NDMP आपदा प्रबंधन चक्र के ढांचे में चार चरण शामिल होते हैं

1. निवारण
2. शमन
3. प्रतिक्रिया
4. स्वास्थ्य लाभ

फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय योजना में सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत प्रत्येक खतरे के लिए चार प्राथमिकताएं शामिल हैं। वो हैं

- A. आपदा जोखिम को समझना;
- B. आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना और आपदा जोखिम का प्रबंधन करना;
- C. लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम में कमी और
- D. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की तैयारी को बढ़ाना।

NDMP में प्राकृतिक और मानव-प्रेरित दोनों खतरों के लिए सभी प्रकार के आपदा प्रबंधन चक्र हैं। फ्रेमवर्क मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य अभिकरणों के एकीकरण से संबंधित है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को चक्रवातों के लिए जिम्मेदारी दी गई है।

नीति के प्राथमिक राहत कार्यों में निम्नलिखित शामिल होते हैं :

- पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी
- निर्बाध संचार बनाए रखना
- टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से निवारक उपायों के माध्यम से तैयारी करना
- आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी और स्थानांतरित करने के लिए परिवहन सुविधाएं।


माध्यमिक राहत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- नागरिक प्राधिकरणों को सैन्य सहायता के माध्यम से राहत और पुनर्वास और बहाली
- फसलों, मवेशियों, पोषण और स्वास्थ्य उपायों के संरक्षण के लिए आकस्मिक योजना
- तकनीकी और तकनीकी आदानों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना।
- केंद्रीय जल आयोग की ओर से पूर्वानुमान।

gradeup

Acts Related to Disaster Management

A sudden calamitous event that results in the disturbance of the functioning of a society or community is known as a Disaster. Many economic, environmental, human and material losses have been caused by these disasters. Such losses are so devastating that the community cannot cope up on its own using their own resources. Natural disasters can be in the form of: Earthquakes, Floods, Volcanic Eruptions, Tsunamis, Avalanches, Landslides and Sinkholes.



Water and Climate Disaster: Flood, hail storms, cloudburst, cyclones, heat waves, cold waves, droughts, hurricanes.

Geological Disaster: Landslides, earthquakes, volcanic eruptions,

Biological Disaster: Viral epidemics, pest attacks, cattle epidemic and locust plagues

Industrial Disaster: Chemical and industrial accidents, mine shaft fires, oil spills,

Nuclear Disasters: Nuclear core meltdowns, radiation poisoning

Man-made disasters: Urban and forest fires, oil spill, the collapse of huge building structures

Biological Disasters

- The devastating effects caused by widespread of a certain kind of living organism or microorganism that may spread disease, viruses or infestation of plant, animal or insect life on an epidemic or pandemic level.
- Epidemic Level – Indicates a disaster that affects many people in a given area or community at a same time.
- Pandemic Level – Indicates a disaster effecting a much larger region, sometimes an entire continent or even the whole planet. For example, the recent corona virus or the H1N1 or Swine Flu pandemic.

Preventive Measures for workers in the field (Medical)

- Engineering controls – to help prevent the spread of such disasters including proper ventilation, installing negative pressure, and usage of UV lamps.
- Personal hygiene – washing hands with liquid soap, proper care for clothes that have been exposed to a probable contaminated environment.
- Personal protection equipment – masks, protective clothing, gloves, face shield, eye shield, shoe covers.
- Sterilization – Using ultra heat or high pressure to eliminate bacteria or using biocide to kill microbes.
- Respiratory protection – surgical masks, respirators, powered air-purifying respirators (PAPR), air-supplying respirator

The Legal Framework for Biological Disasters

- The Epidemic Diseases Act, 1897 was enacted during the Colonial rule.
- This Act does not provide any power to the centre to intervene in biological emergencies.
- It has to be substituted by an Act which takes care of the prevailing and foreseeable public health needs including emergencies such as BT attacks and use of biological weapons by an adversary, cross-border issues and international spread of diseases.
- It should give enough powers to the central and state governments and local authorities to act with impunity, notify affected areas, **they can also restrict movement or quarantine the affected area**, enter any premises to take samples of suspected materials and seal them.
- The Act should also establish controls over biological sample transfer and biosafety of materials/laboratories.

The Disaster Management Act, 2005

- The National Disaster Management Policy along with the act are some of the well-established laws related to disaster management.
- Along with these two acts, the other acts that have proved helpful to prevent the disaster as a result of some specific activities are Air act 1971, Water Act 1984, Environment act 1986 etc.

Acts & Laws



I. The Disaster Management Act, 2005 was passed by the Rajya Sabha on 28th November and the Lok Sabha passed it on 12th December 2005. On 9th January 2006 this act received the assent of the President of India. This act has **79** sections and **11** chapters. The act extends to the whole of India and provides effective management of disasters and matters related to its management. The act combats the disasters by forming the following:

- National Disaster Management Authority
- State Disaster Management Authority
- District Disaster Management Authority

a. National Disaster Management Authority

- National Disaster Management Authority (NDMA) is an agency of the Ministry of Home Affairs.
- This agency takes up the responsibility to coordinate response to natural or man-made disasters and for capacity building in disaster resiliency and crisis response.
- This also frames policies, lays down guidelines and best practices and coordinates with the State Disaster Management Authorities (SDMAs) management.

- The financial arrangements for Disaster Management were mandated to be reviewed by the Twelfth Finance Commission.
- National Executive Committee (NEC): This is composed of the Secretary Level officers of the Government of India from the Ministries of home, agriculture, atomic energy, defense, drinking water, finance, environment, health, rural development etc. under section 8. The Home Secretary serves as the ex-officio Chairperson.
- This body has been given the responsibility to act as coordinating and monitoring body for disaster management. The similar bodies that work under NDMA are National Institute of Disaster Management (NIDM) and National Disaster Response Force (NDRF).

b. State Disaster Management Authority

- Under section 14, the SDMA consists of the Chief Minister of the state who serves as the Chairperson along with 8 others members whom the Chief Minister appoints.
- According to Section 22, this committee is responsible for drawing a plan for managing the disaster and implementing the National plan. By Section 28, the SDMA prepares disaster management plans prescribed by the National and State authorities.
- State Executive Committee (SEC): This body which is headed by the Chief Secretary of the state is liable for coordinating and monitoring the execution of National Policy. Under the DM Act the National and State plan has been provided.

c. District Disaster Management Authority

- The Collector of the District Magistrate or Deputy Commissioner of the district is the Chairperson of the District Disaster Management Authority. The Co- Chairperson of the authority is an elected representative of the local authority. In the Tribal areas, the Chief Executive Member of the District council of Autonomous District is appointed as Co-Chairperson.
- In a Zila Parishad, which is the third tier of the Panchayati Raj System, the Chairperson shall be the Co-Chairperson of the DDMA. The District authority is vested with the power to inspect the construction in any areas. This enforces the safety standards to arrange for relief measures in response to disaster at district level.

II. National Policy on Disaster Management (NPDM)

- It has a vision “to build a safe and disaster resilient India by developing a holistic, proactive, multi-disaster oriented and technology driven strategy through a culture of prevention, mitigation, preparedness and response.”

- This policy was approved by the Union Cabinet on 22nd October 2009. NPDM builds and emphasizes on strategic partnerships at various levels to bring about an integrative approach of management.
- Disaster management has to be done as a cohesive synergy as it is a multidisciplinary activity. The primary accountability of disaster management rests upon the State Government. NPDM has been successful in using technology for a holistic development and management of disaster.
- This NPDM addresses every aspect of the society which has disadvantages in terms of granting relief and formulation measures for rehabilitation. The groups that have this concern are differently-abled persons, women, children etc.
- All the communities and including the community-based organizations, Panchayati Raj Institutions, local bodies and civil societies are involved in the disaster management. This helps to bring the transparency and accountability in all aspects.
- The **National Disaster Management Plan** was released on June 1st, 2016 by the Prime Minister. This NDMP broadly aligns with the goals set out in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- It is the international document that was adopted at the World Conference on Disaster Risk Reduction held by UN at Sendai, Japan. It was endorsed by the UN General Assembly in June 2015.
- The NDMP framework of the disaster management cycle consists of four phases
 1. Prevention
 2. Mitigation
 3. Response
 4. Recovery

According to the framework, the national plan includes four priorities for each hazard under the Sendai Framework. They are

- a. Understanding disaster risk
- b. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk
- c. Investing in disaster risk reduction for resilience and
- d. Enhancing disaster preparedness for effective response.

NDMP has disaster management cycle for all types of hazards – both natural and human-induced. The framework mainly deals with mobilization of central ministries, departments and other agencies. For example, the Ministry of Earth Sciences have been given the responsibility for Cyclones.

The Primary relief functions of the policy are:

- Forecasting and early warning
- Maintaining uninterrupted communication
- Preparing through preventive measures through TV and Newspaper
- Transport facilities for evacuation and moving essential commodities and petroleum products.

The Secondary relief functions are:

- Relief and Rehabilitation and restoration through military aid to civil authorities
- Contingency plans for preserving crops, cattle, nutrition and health measures
- Providing water through technical and technological inputs.
- Inflow forecast from Central Water Commission

gradeup